स्थानीय प्रशासन

पंचायती राज

भारत में "पंचायती राज" ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली का सूचक है भारत के सभी राज्यों में गठन राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा सबसे निचले स्तर पर जनतंत्र स्थापित करने के उददेश्य से किया गया था। इसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र से संबंधित कार्य और ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गयी है। संविधान के 73वें (संशोधन) अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है । केंद्र स्तर पर पंचायती राज निकायों से संबंधित मामलों की देख-रेख ग्रामीण मंत्रालय द्वारा की जाती है ।

भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बटवारे की योजना के अंतर्गत "स्थानीय शासन" का विषय राज्यों को दिया गया है ।इस प्रकार संविधान की सातवी अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में पांचवी प्रविष्टि "स्थानीय शासन" से संबंधित है।

बलवंतराय महेता समिति

सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (नेशनल एक्स्टेंशन सर्विस 1953) की कार्यप्रणाली की जाचं करने और इन कार्यप्रणाली में सुधार लाने संबंधी उपाय सुझाने के लिए जनवरी 1957 में भारत सरकार ने बलवंत रायजी महेता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की इ इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर 1957 में प्रस्तुत की जिससे "जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण" योजना स्थापित करने की शिफारिश की गई थी ।इसे बाद में "पंचायती राज" कहा जाने लगा था ।समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार है -

i. तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद ।इन तीनों स्तरों को एक-दूसरे की साथ जोड़े रखने के लिए अप्रत्यक्ष चुनावों को माध्यम बनाया जाना चाहिए।
ii. ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की शामिल करके किया जाना चाहिए; जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करके किया जन चाहिए।
iii. इन निकायों को नियोजन और विकास से जुड़े सभी कार्य सौंपे जाने चाहिए।
iv. पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को परामर्शी समन्वयक और पर्यवेक्षी निकाय बनाया जाना चाहिए।
v. जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।
vi. इन जनतांत्रिक निकायों को आवश्यक शक्तियां और जिम्मेदारी सौपी जानी चाहिए।
vii. इनके कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए इन निकायों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएं जाने चाहिए ।
viii. इन्हें भविष्य में अधिक अधिकार दिए जाने के उपाय भी किए जाने चाहिए।

समिति की ये सिफारिशें राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर ली गईं थीं ।परिषद ने एक अकेले अनन्य पैटर्न पर अड़े रहने की बजाय का पैटर्न निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करने का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया किन्तु यह भी स्पष्ट कर दिया की मूल सिध्दांत और व्यापक आधार पुरे देश में एक समान रहेगें।

सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली राजस्थान राज्य में कायम हुई ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में इसका उदघाटन किया था इ इसके बाद आंध्रप्रदेश में यह प्रणाली 1959 में ही अपनाई गई ।बाद में अधिकांश राज्यों ने इस प्रणाली को अपना लिया ॥

अशोक मेहता समिति

जनता पार्टी की सरकार ने दिसम्बर 1977 में पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की ।इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में दी थी तथा अपनी रिपोर्ट में पतनोन्मुख पंचायती राज प्रणाली के पुनरोद्धार और उसे सुदृढता प्रदान करने से संबंधित 132 सिफारिशें की थीं । इनमे से प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार है -

i. तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के स्थान पर दो स्तरीय प्रणाली होने चाहिए अर्थात जिला स्तर पर जिला परिषद तथा इसके नीचे मंडल पंचायत जिसमें 15 हजार से 20 हजार की आबादी वाला गांवों को शामिल किया जाए ।

ii. राज्य स्तर से नीचे जिले को बेहतर पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए ।

iii. जिला परिषद को कार्यकारी निकाय होना चाहिए तथा जिला स्तर के नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

iv. पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए।

v. पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान संबंधी अनिवार्य शक्तियां होनी चाहिए ताकि ये अपने लिए वित्तीय संसाधनों को जुटा सकें ।

vi. जिला स्तर की एजेंसी और विधायकों की समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लेखा की लेखापरीक्षा नियमित रूप से सबके सक्षम की जनि चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लये आबंटित धनराशियों को इन वर्ग के लोगों के लिए ही खर्च किया गया है या नही ।

vii. राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं का अधिक्रमण नही करना चाहिए ।यदि यह किया जाता है तो अधिक्रमण की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव करने चाहिए।

viii. न्याय पंचायतों को पंचायती निकायों से अलग रखना चाहिए तथा इन न्याय पंचायतों की अध्यक्षता योग्य न्यायाधीश को करनी चाहिए।

ix. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से पंचायती रह चुनावों का आयोजन कराना चाहिए।

x. विकास से जुड़े कार्य जिला परिषदों को सौप दिए जाने चाहिए और इन कार्यों से संबंधित कर्मचारियों को जिला परिषद के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करना चाहिए ।

xi. पंचायती राज के लिए लोगों का समर्थन जुटाने में स्वयं सेवी एजेंसियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए ।

xii. राज्य मंत्रिपरिषद में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की देख-रेख के लिए पंचायती राज मंत्री भी नियुक्त होना चाहिए ।

xiii. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित होनी चाहिए।

जनता पार्टी की सरकार समय से पहले गिर जाने के कारण अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर केंद्र स्तर पर कोई कार्यवाही नही हो सकी थी, फिर भी अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के आलोक में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश- तीन राज्यों ने पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए थे।

जी.वी.के. राव समिति

योजना आयोग ने वर्ष 1958 में "ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंध" विषय पर जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की । पंचायती राज प्रणाली को सुदृढता प्रदान करने की दृष्टि से इस अमिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं -

i. प्रजातांत्रिक विक्रेंद्रीकरण प्रक्रिया में जिला परिषदों की भूमिका प्रमुख होनी चाहिए । समिति का मानना था कि "नियोजन और विकास से जुड़े कार्यों के लिए जिला एक उपयुक्त इकाई है तथा जिन विकास कार्यक्रमों को जिला स्तर पर किया जा सकता है, उन तमाम विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन का प्रधान निकाय जिला परिषद होना चाहिए ।"

ii. जिला और निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की देखरेख कार्यान्वयन और नियोजन के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका दी जानी चाहिए ।

iii. राज्य स्तर के नियोजन के कुछ कार्यों को प्रभावी विकेंद्रीकृत जिला नियोजन के जिला स्तर की नियोजन इकाइयों को सौप दिया जाना चाहिए।

iv. जिला विकास आयुक्त का पद सृजित होना चाहिए जिसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला स्तर पर विकास कार्य से जुड़े सभी विभागों का प्रभारी बनाया जाना चाहिए।

एल.एम्.सिंघवी समिति

राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1986 में रीवाइटलाइजेशन आफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशान फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर एक समिति एल.एम्.सिंघवी की अध्यक्षता में गठित की थी । इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की-

i. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और सुरक्षा मिलनी चाहिए , उन्हें बनाए रखना चाहिए और इसके लिए संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए ।इससे पंचायती राज संस्थाओं की पहचान और अखंडता को यथोचित और काफी हद तक बनाए रखा जा सकेगा ।समिति ने यह भी सुझाव दिया कि पंचायती राज निकायों के नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए संविधान में प्रावधान भी किए जाने चाहिए ।

ii. कई ग्राम समूहों के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए।

iii. ग्राम पंचायतों की अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए गांवों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए । समिति ने ग्राम सभा के महत्व पर भी बल दिया तथा इसे प्रत्यक्ष जनतंत्र का प्रतीक बताया था ।

iv. ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए।

v. पंचायती राज संस्थानों के चुनावों, उन्हें भंग करने और उनकी कार्यप्रणाली से जुड़े विवादों समाधान के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए।

संविधानीकरण

64वां संशोधन विधेयक

एल.एम्.सिंघवी समिति की उक्त सिफारिशों की प्रतिक्रियास्वरूप राजीव गांधी की सरकार की जुलाई 1989 में लोकसभा में 64वां संविधान (संशोधन) विधेयक लाई ताकि पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियां और आधार प्रदान किया सके और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जा सके यद्यपि लोकसभा ने इस विधेयक की अगस्त 1989 में पारित कर दिया था किंतु राज्यसभा ने इस अनुमोदित नहीं किया था क्योंकि विपक्ष ने इसका विरोध इस आधार पर किया कि इससे संघीय प्रणाली के केन्द्रीयकरण को बढावा मिलेगा।

वी.पी. सिंह सरकार

नवंबर 1989 में प्रधानमन्त्री वी.पी.सिंह के नेतृत्व ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने सत्ता संभालते ही घोषणा की कि वह पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढाता प्रदान करने संबंधी मुददों पर चर्चा के लिए वी.पी.सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का दो-दिवसीय सम्मेलन जून 1990 में हुआ। इस सम्मेलन में नए सिरे से संविधान विधेयक लेन के प्रस्ताव के प्रति सहमित बनी। फलस्वरूप, सितंबर 1990 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था, किंतु सरकार गिराने के कारण विधेयक भी कहीं का नही रहा।

नरसिम्हा राव सरकार

पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने मुददे पर विचार किया इस सरकार ने प्रस्तावों में संशोधन कर विवादास्पद मुददों की हटा दिया । अंततः इस सरकार ने सितंबर 1991 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया । यह विधेयक लोकसभा में 22 दिसम्बर, 1991 को और राज्यसभा 23 दिसम्बर, 1992 को पारित हुआ था । बाद में इसे 17 राज्यों की विधानसभाओं ने अनुमोदित किया और इस पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमित 20 अप्रैल, 1993 को दी इस प्रकार इस विधेयक ने संविधान के 73वै (संशोधन) अधिनियम 1992 का रूप ले लिया और २४अप्रैल 1983 से अधिनियम और प्रभावी हो गया ।

73वां संशोधन अधिनियम 1992

इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग IX को जोड़ दिया गया जिसका शीर्षक " पंचायत ' रखा गया । इसमें अनुच्छेद 243से लेकर अनुच्छेद 243- ओ तक में कई प्रावधान किए गए है। इसमें अतिरिक्त; संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इसमें पंचायतों के कार्य हेतु 29 मद है और अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है । इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यावहारिक रूप दिया । इस अनुच्छेद में उल्लेख है " ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिएnirniranirajnirajy राज्य कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रधान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो । " यह अनुच्छेद राज्य की निति-निदेशक सिध्दांतों का एक अंग है ।

ग्रामसभा

अधिनियम के तहत पंचायती राज प्रणाली के आधार के रूप में ग्रामसभा का प्रावधान है। ग्रामसभा एक निकाय है जिसके तहत पंचायत क्षेत्र में आने वाले गांवों की मतदान सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते है । ग्रामसभा राज्य के विधान द्वारा निर्धारित गाँव स्तर के सभी कार्यों का निष्पादन और शक्तियों का प्रयोग करती है ।

तीन स्तरीय प्रणाली

अधिनियम में प्रत्यक राज्य में तीन स्तरीय प्रणाली का प्रावधान है- अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत प्रणाली अधिनियम में इन सभी शब्दों किओ इस प्रकार परिभाषित किया गया है-

i. पंचायत का आशय है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था, उसका नाम जो भी हो ।

ii. ग्राम का आशय उस ग्राम से है जिसे राज्यपाल ने पंचायत के प्रयोजन से सार्वजनिक अधिसूचना में ग्राम या ग्राम समूह के रूप में शामिल किया है ।

iii. मध्यवर्ती स्तर का आशय उस स्तर से है जो राज्यपाल ने सार्वजानिक अधिनियम के द्वारा इस प्रयोजन से गाँव और जिला स्तर के मध्य निर्धरित किया है ।

iv. जिला का आशय राज्य के किसी जिले से है ।

इस प्रकार ; इस अधिनियम के द्वारा देशभर में पंचायती राज की संरचना में एकरूपता बनाए रखी गई है । यह उल्लेखनीय है कि 20 लाख से कम आबादी वाला राज्य मध्यवर्ती स्तर की पंचायत गठित नही कर सकता है ।

अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव

पंचायतों में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के लिए सभी का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा । मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर पंचायतों के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाएगा । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधान में निर्धारित विधि से किया जाएगा ।

स्थानों(सीटों) का आरक्षण

अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि पंचायत क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात ने प्रत्येक स्तर की पंचायत इन वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रखेगी इसके अतिरिक्त राज्य के विधान में ग्राम पंचायत या किसी स्तर की पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण का प्रावधान भी होगा।

अधिनियम में किसी पंचायत में स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सहित) आरक्षित रखने का भी प्रावधान है। इसी प्रकार प्रत्येक स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष के कुल पदों/स्थानों की संख्यां के कम से कम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगें।

अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है किराज्य को किसी पंचायत में स्थानों को आरक्षित रखने या किसी स्तर की पंचायत में अध्यक्ष पद को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त होगा ।

पंचायतों का कार्यकाल

अधिनियम में प्रत्येक स्तर की पंचायत के लिए पांच वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान हा तथापि , कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव पंचायत के पांच वर्ष के कार्यकाल की अवधि कि समाप्ति से पहले अथवा पंचायत भंग होने की तिथि से 6 माह के अंदर करा लिए जाएगे

अयोग्यता

किसी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनाने अठाव चुने जाने के अयोग्य मन जाएगा यदि (i) संबद्ध राज्य के विधानमंडल चुनाव के लिए उसी समय लागु किसी कानून के अंतर्गत उसे अयोग्य घोषित किया जाता है या (ii) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत आईगी करार दिया जाता है । किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव के लिए इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता कि आयु 25 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से न हो । इसके अतिरिक्त अयोग्यता संबंधी सभी विवाद निपटान हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण को भेजे जाएँगे ॥

राज्य चुनाव आयोग

पंचायतों के सभी चुनावों के आयोजन और मतदाता सूचियों की तैयारी कार्य की निगरानी, उसके निर्देशन और नियन्त्रण की शक्ति राज्य चुनाव आयोग में निहित होगी । राज्य चुनाव आयोग में राज्य चुनाव आयुक्त होगा जिसकी नियुकित राज्यपाल करेगा। उसकी सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण भी राज्यपाल द्वारा किया जाएगा । उसे उसके पद से ठीक उसी प्रकार नही हटाया जा सकेगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को नही हटाया जा सकता । उसकी सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद ऐसा कोई बदलाव भी नही किया जा सकेगा जिससे उसे (राज्य चुनाव आयुक्त) कोई क्षति होती हो ।

शक्तियां और कार्य

राज्य के विधानमंडल द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दिए जा सकते है जो स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो । इसके अंतर्गत पंचायतों पर उनके स्तरानुसार उन शक्तियों और जिम्मेदारियों का भर भी डाला जा सकेगा जो

i. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुडी योजनाओं की तैयारी के लिए आवश्यक हो ।
ii. आर्थिक विकस और सामाजिक न्याय से जुडी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उन्हें सौपी जा सकती हों इन शक्तियों और जिम्मेदारियों में ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबध्द 29मामलों से संबंधित शक्तियां और जिम्मेदारियाँ शामिल है ।

वित्तीय प्रबंध

राज्य का विधानमंडल

i. पंचायत को करों, पथकरों और शुल्कों को लगाने, संग्रहित करने और उसे विनियोजित का अधिकार दे सकता है।

ii. राज्य सरकार द्वारा प्रभारित और संग्रहित करों, शुल्कों और पथकरों को पंचायत को सौपा जा सकता है ।

iii. राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान का प्रावधान किया जा सकता है ।

iv. पंचायतों की राशि को क्रेडिट करने के लिए कोष गठित करने का प्रावधान किया जा सकता है ।

वित्त आयोग

राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रति पांच वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करेगा यह आयोग राज्यपाल से निम्नलिखित सिफारिशें करेगा ।

i. उन सिध्दांतों के बारे में जो-

(क) राज्य द्वारा प्रभारित करों शुल्कों और पथकरों से प्राप्त शुध्द राशी को राज्य और पंचायतों के बीच वितरण से संबंधित हो ।

(ख) पंचायतों को सोपे जाने वाले करों शुल्कों पथकरों के निर्धारण से सम्बन्धित हो ।

(ग) राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को दी जाने वाली सहायता अनुदान से संबंधित हो।

ii. पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधर के लिए जरूरी उपायों से संबंधित ।

iii. ऐसा कोई अन्य विषय जिसे राज्यपाल ने पंचायतों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आयोग के सुपुर्द किया हो ।

राज्यपाल के विधानमंडल ने इस आयोग की संरचना और उनके चयन की पध्दति को ध्यान में रखते हुए की । राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

केन्द्रीय वित्त आयुक्त भी राज्य में पंचायतों को संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय सुझा सकेगा (ऐसा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जा सकेगा)।

लेखा और लेखापरीक्षा

राज्य विधानमंडल पंचायतों के लेखा खतों के रख रखाव और उनकी परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कर सकता है ।

केंद्रशासित क्षेत्रों में अधिनियम का लागु होना

भारत का राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है किइस अधिनियम के प्रावधान किसी भी केंद्रशाशित क्षेत्र में उन अपवादों और संशोधनों के अधीन लागु होगे जिनका वह उल्लेख करता है ।

राज्य और क्षेत्र जिनमे अधिनियम लागु नही होगा

इस अधिनियम के प्रावधान जम्मू-कश्मीर , नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम राज्य में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में लागु नही होगे इन क्षेत्रों में शामिल है-

(क) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र ;

(ख) मणिपुर राज्य का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए जिला परिषद गठित है ।

(ग) पश्चिम बंगाल जहा दार्जिलिंग गोरखा हिल काउसिल गठित है ।

विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना

इस अधिनियम के लागु होने की तिथि से एक वर्ष तक पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी और लागु प्रभावी और लागु रहेगे अर्थात राज्यों को 24 अप्रैल 1993 के बाद एक वर्ष की अवधि के अंदर ही इस अधिनियम क्र लागु होने से पहले विद्यमान सभ पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेगी बशर्ते कि उन्हें राज्य के विधानमंडल द्वारा भंग न किया जाए ।

फलस्वरूप, अधिकाश राज्यों ने पंचायती राज्य अधिनियम को वर्ष 1993 और 1994 में पारित कर दिया तथा संविधान के 73 वें (संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुसार नि प्रणाली को अपना लिया ।

ग्याहरवी अनुसूची

इस अनुसूची में पंचाय्तोंब के अधिकार क्षेत्र में आने वाली निम्न 29 प्रकार की कार्यात्मक है -

- कृषि , कृषि संबंधी विस्तार सहित
- भूमि सुधर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण

- लघु सिंचाई , जल प्रबंध और वाटरशेड डेवलपमेंट पशुपालन , दुग्ध्व्यवासय और मुर्गीपालन
- मत्स्य पालन
- सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी
- लघु वन उत्पाद
- लघु उद्योग खाद्यप[र्संस्करण उद्योग सहित
- कड़ी ग्राम और कुटीर उद्योग
- ग्रामीण आवास
- पेय जल
- इंधन और चारा
- सडक , पुलिया सेतु नावों जल मार्ग और संचार के अन्य साधन
- ग्रामीण विधुतीकरण ओएर विद्युत वितरण
- अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत
- निर्धनता तथा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय
- तकनीकी प्रिशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा
- वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा
- पुस्तकालय
- सांस्क्रतिक आयोजन
- मेले और बाजार
- स्वास्थ्य और साफ सफाई अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य और औषधालय
- परिवार कल्याण
- महिला और बाल विकास
- समाज कल्याण-विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए
- कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण
- सार्वजानिक वितरण प्रणाली
- सामुदायिक परिसम्पतियों का रख- रखाव

शहरी स्थानीय-शासन

भारत में "शहरी स्थानीय शासन" शब्द का आशय लोगों द्वारा उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी शहरी क्षेत्र के शासन से है I शहरी स्थानीय शासन सरकार द्वारा इस प्रयोजन से निर्धारित शहरी विशिष्ट शहरी क्षेत्र तक सीमित रहता है I

भारत में शहरी स्थानीय शासन के आठ प्रकार है- नगर, निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र कमेटी, टाउन एरिया कमेटी , छावनी बोर्ड , टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और विशेष उददेश्य एजेंसी शहरी शासन प्रणाली कोई संवैधानिक दर्जा संविधान के 74वै (संशोधन) अधिनियम 1992 द्वारा मिला था केंद्र स्तर पर ' शहरी स्थानीय शासन " विषय से जुड़े तीन मंत्रालय है -

i. **शहरी विकास मंत्रालय** -एक अलग मंत्रालय के रूप में वर्ष 1985 में गठित
ii. **रक्षा मंत्रालय** - छावनी बोर्ड के मामलों से संबंधित
iii. **गृह मंत्रालय** - संघ राज्य क्षेत्र के मामलों से संबंधित

ऐतिहासिक प्ररिप्रेक्ष्य

आधूनिक भारत में शहरी स्थानीय शासन से जुडी संस्थाओं की उत्पति और उनका विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। इस संदर्भ में नुख्य घटनाक्रम इस प्रकार है-

i. वर्ष 1687 में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई।
ii. वर्ष 1726 में मुबई और कोलकाता में भी नगर निगमों की स्थापना हुई ।
iii. स्थानीय स्वशासन से जुडी संस्थाओं का विकास वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव 1870 के फलस्वरूप हुआ ।
iv. लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव 1882 को स्थानीय स्वशासन के " मैग्ना कार्टा" (महाधिकार पत्र) के रूप में जाना गया बाद में यसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाने लगा ।
v. विकेंद्रीकरण के मुददे पर रायल कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1970 में हुई उसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1990 में दी थी इस आयोग के अध्यक्ष हॉबहाउस थे ।
vi. भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में शुरु की गई द्वैत योजना के अंतगर्त स्थानीय स्वशासन स्थानांतरित विषय बनकर जिम्मेदार भारतीय मंत्री के प्रभार में आ गया ।
vii. वर्ष 1924 में केन्द्रीय विधायिका अर्थात संसद द्वारा कौंटोनमेंटएक्ट पारित किया गया ।
viii. भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई प्रांतीय स्वायत्तता योजना के तहत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया ।

संवैंधानीकरण

अगस्त 1989 में राजीव गांधी की सरकार लोकसभा में संविधान का 65वां संशोधन विधेयक लाई थीं ।इस विधेयक का उददेश्य था ,

नगरपालिकाओं को संवैंधानिक दर्जा देकर उन्हें सुदृढ़ता प्रदान करना ।लोकसभा में यद्यपि यह विधेयक पारित हो गया था किंतु राज्यसभा में इसे अक्टूबर 1989 में हार का सामना करना पड़ा और विधेयक रदद् हो गया ।

वी.पी. सिंह की राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने सितंबर 1990 में पुन: संशोधित नगरपालिका बिल प्रस्तुत किया किंतु यह पारित न हो सका तथा लोकसभा भंग हो जाने के कारणयह विधेयक पुन: रदद् हो गया

पी.वी.सिंह नरसिम्हा राव की सरकार ने भी सितंबर 1991 में संशोधित नगरपालिका बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोंनों सदनों द्वारा दिसंबर 1992 में पारित कर दिया गया । इसके बाद अपेक्षित संख्या में राज्य विधानमंडलों ने इसे अनुमोदित कर दिया राष्ट्रपति की सहमित भी अप्रैल 1993 में मिल गई और अंतत: संविधान के 74वै (संशोधन) अधिनियम 1992 के रूप में जून 1993 से प्रभावी हो गया ।

74वां (संशोधन) अधिनियम 1992

इया स्धिनियम संविधान में भाग IX ए जोड़ दिया इस भाग का शीर्षक "नगरपालिकाएं" है जिसके प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 243-पी से 243-जी में है । इसके अतिरिक्त इसके कारण संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़नी पड़ी । इस अनुसूची में नगरपालिकाओं की 18 कार्यमदों का उल्लेख है जो अनुच्छेद 243 डब्ल्यू से संबंधित है।

तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ

इस अधिनियम में प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान है, अर्थात-

I. नगर पंचायत (नाम जो भी हो) जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच के क्षेत्र से संबंधित हो (समवर्ती क्षेत्र के लिए)
II. नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्र के लिए
III. नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र के लिए

समवर्ती क्षेत्र, छोटा शहरी क्षेत्र व् बड़ा शहरी क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से है जिसे राज्यपाल ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन से सरकारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया है -

(क) क्षेत्र की आबादी
(ख) जनसँख्या का घनत्व
(ग) स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पादित राजस्व
(घ) गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत
(ड) आर्थिक महत्व या राज्यपाल द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य कारण ।

संरचना

नगरपालिका के सभी सदस्यों का चुनाव उस नगरपालिका क्षेत्रे के लोगों द्वारा सीधे-सीधे किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में; अर्थात वार्डों में बांटा जाएगा । नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव पद्धति का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। नगर पालिका में यह निम्नलिखित लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कर सकता है-

I. नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला व्यक्ति किंतु उसव नगरपालिकाओं को बैठकों मत का अधिकार न हो ।
II. लोकसभा या राज्य विधानमंडल के वै सदस्य जो उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का पूरा अथवा कुछ भाग आता हो ।
III. राज्यसभा या राज्य विधानपरिषद के वै सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो ।
IV. समितियों के अध्यक्ष (वार्ड समितियों को छोड़कर)

वार्ड समितियां

ऐसी नगरपालिकाओं में, जिनके क्षेत्र की आबादी 3 लाख या इससे अधिक हो, एक या एक से अधिक वार्डों को शामिल कर वार्ड समिति गठित की जाएगी । राज्य का विधानमंडल वार्ड समिति की संरचना, भौगोलिक क्षेत्र और समिति में स्थानों को भरने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान बना सकता है । राज्य का विधानमंडल वार्ड समिति के गठन के अतिरिक्त समितियों के गठन के लिए भी किसी तरह का प्रावधान बना सकता है ।

स्थानों का आरक्षण

इस अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूची जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में, नगरपालिका में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त, अधिनियम में किसी नगरपालिका क्षेत्र में कुल सीटों की संख्या में से एक- तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित) रखने का भी प्रावधान है ।

राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति अनुसूची जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित करने की पद्धति का निर्धारण भी कर सकता है। राज्य विधानमंडल किसी नगरपालिका में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों अथवा नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए भी व्यवस्था कर सकता है ।

नगरपालिकाओं की अवधि

इस अधिनियम में प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है किंतु इसे समय से पहले अर्थात कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसकी अतिरिक्त, नगरपालिका के गठन के लिए नए चुनाव -

I. पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले या
II. नगरपालिका भंग होने की स्थिति में भंग होने की तिथि से 6 माह की अवधि की समाप्ति से पहले करा लिए जाएँगे।

अयोग्यता

कोई वह व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य चुने जाने का पात्र नही होगा जिसे

I. संबंद्ध राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रयोजन से उस समय लागू किसी कानून के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया जाता है या
II. राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है ।इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य करार नही दिया जाएगा कि उसने 25 वर्ष की आयु पूरी नही की है बशर्ते कि उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो। तथापि , अयोग्यता सभी विवाद राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को निपटान हेतु भेजे जाएगें ।

राज्य चुनाव आयोग

नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के आयोजन तथा मतदाता सूचियों की तैयारी के कार्य की निगरानी, उसके निर्देशन तथा उस पर नियन्त्रण रखने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग को प्राप्त होगा ।

शाक्तियाँ और कार्य

राज्य विधानमंडल द्वारा नगरपालिकाओं को ऐसी शाक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किए जाएँगे जो स्वशासन से जुडी संस्थाओं को उनके कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हो ।इस योजना के तहत नगरपालिकाओं पर

I. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुडी योजनाओं की तैयारी से संबंधित और
II. नगरपालिकाओं को सौंपी जाने वाली आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय (जिनमे 12वी अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषय भी शामिल है) से जुडी योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी डालने तथा कार्यान्वयन की शक्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी ।

वित्तीय प्रबंध

राज्य विधानमंडल

I. नगरपालिकाओं को कर, शुल्क, पथकर लगाने,उनका संग्रहण और विनियोजन करने की शक्ति/अधिकार दे सकता है ।
II. वह राज्य सरकार द्वारा प्रभारित और संग्रहीत करों, शुल्कों और पथकरों को नगरपालिकाओं को सौंप सकता है ।
III. राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान की व्यवस्था कर सकता है ।
IV. नगरपालिकाओं की समस्त धनराशियों को जमा करने के लिए कोष का निर्माण कर सकता है ।

वित्त आयोग

पंचायतों के लिए गठित वित्त आयोग प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा कर्जा तथा राज्यपाल से निम्नलिखित सिफारिशें करेगा-

I. वै सिद्धांत जो-
   (क) राज्य द्वारा प्रभारित करों,शुल्कों, पथकरों से हुई शुद्ध आय को राज्य और नगरपालिकाओं के बीच विभाजित करने पर लागू हो ।
   (ख) नगरपालिकाओं को सौंपे जाने वाले करों,शुल्कों और पथकरों के निर्धारण के लिए लागू हो ।
   (ग) राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान दिए जाने हेतु लागू हो ।
II. नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधर लाने के लिए आवश्यक उपाय ।

III. नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को ठीक रखने की दृष्टि से राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को प्रेषित अन्य कोई विषय ।

लेखापरीक्षा

राज्य विधानमंडल द्वारा नगरपालिकाओं के लेखा खातों के रख-रखाव और उनकी लेखापरीक्षा का प्रावधान भी किया जा सकता है।

केंद्र शासित क्षेत्रों में अधिनियम का लागू होना

राष्ट्रपति स्वयं द्वारा निर्दिष्ट कुछ अपवादों और संशोधनों के अधीन अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में लागू करने का निर्देश दे सकता है ।

अधिनियम से बाहर के क्षेत्र

इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में उलिलेखित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नही होगे ।इस अधिनियम के कारण पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को कार्यशक्तियाँ प्रभावित नही होगी ।

जिला नियोजन समिति

प्रत्येक राज्य, जिले की नगरपालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एक करने तथा जिले की समग्र विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिलास्तरीय जिला नियोजन समिति का गठन करेगा। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित बैटन से संबंधित व्यवस्थाएं कर सकता है-

I. ऐसी समितियों की संरचना से संबंधित ।
II. इन समितियों के सदस्यों के चुनाव के ढंग से संबंधित।
III. इन समितियों की जिला नियोजन से संबंधित कार्यों के संबंध में ।
IV. इन समितियों के अध्यक्षों के चुनाव के ढंग से संबंधित।

इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि जिला नियोजन समिति के सदस्यों में से 4/5 की संख्या में सदस्यों में से ही किया जाएगा। समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात में होगा ।

इन समितियों के अध्यक्ष विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगे ।

महानगर नियोजन समिति

प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना को तैयार करने के लिए महानगर नियोजन समिति होगी ।महानगर क्षेत्रे का आशय उस क्षेत्र से है जिसकी आबादी 10 लाख या इससे अधिक हो और जो क्षेत्र एक या एक से अधिक जिलों में पड़ता हो और जिसमे दो या दो से अधिक नगरपालिकाएँ या पंचायतें या अन्य संबंद्ध भी कर सकता है -

I. इन समितियों की संरचना से संबंधित
II. इन समितियों के लिए सदस्यों की चुनाव पद्धति से संबंधित
III. इन समितियों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य संगठनों के प्रतिनिधित्व से संबंधित
IV. महानगर क्षेत्र के लिए नियोजन और समन्वयन से संबंधित समितियों के कार्य, और
V. इन समितियों के अध्यक्षों को चुनाव पद्धति से संबंधित ।

अधिनियम में यह प्रावधान है कि महानगर नियोजन समिति में सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं के लिए चुने गए सदस्यों तथा महानगर क्षेत्र की पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा उनमे से ही चुने जाएँगे। इस समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधि महानगर क्षेत्र की नगरपालिकाओं और पंचायतों की आबादी के अनुपात में होगा ।

इन समितियों के अध्यक्ष विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगे ।

बारहवीं अनुसूची

इस अनुसूची के अंतर्गत नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कार्यमदें इस प्रकार है-

I. शहरी नियोजन , नगर नियोजन सहित
II. भूमि प्रयोग का विनियमन और भवन निर्माण
III. आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित नियोजन
IV. पुल/सेतु और सड़क
V. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन से जलापूर्ति
VI. जनस्वास्थ्य, साफ सफाई, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
VII. अग्निशमन सेवाएँ

VIII. शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और परितंत्रीय पहलुओं का संवर्धन

IX. समाज के कमजोर वर्गों, विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांगों के हित की रक्षा

X. मलिन बस्तियों का सुधार और उन्नयन

XI. शहरी निर्धनता उन्मूलन

XII. पार्कों,बागों और खेल के मैदानों जेसी शहरी सुविधाओं की व्यवस्था

XIII. सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौन्दर्यबोधी पहलुओं का संवर्धन

XIV. शवदाह तथा शवदाह स्थल तथा विद्युत शवदाह गृह

XV. पशुओं के लिए तालाब तथा पशुओं के प्रति निर्दयता पर रोक

XVI. महत्वपूर्ण आँकड़ों का संग्रहण-जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित

XVII. मार्गप्रकाश , गाड़ी खड़ी करने के स्थान, बसस्टॉप जैसी जन सुविधाएँ

XVIII. बुचडखानों और कसाईखानों का विनियम ।

शहरी स्थानीय निकायों के प्रकार

भारत में , शहरी क्षेत्रों में प्रशासन की दृष्टि से निम्न आठ प्रकार के शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया गया है-

- नगर निगम
- नगरपालिका
- अधिसूचित क्षेत्र समिति-(नोटिफाइड एरिया समिति)
- नगर क्षेत्र समिति (टाउन एरिया समिति)
- छावनी परिषद/बोर्ड
- टाउनशिप
- पोर्ट ट्रस्ट
- स्पेशल परपज एजेंसी

नगर निगम

नगर निगमों का गठन दिल्ली,मुंबई,कोलकाता, हैदराबाद, बंगलौर और अन्य महानगरों में प्रशासन की दृष्टि से किया गया है। राज्यों में नगर नगमों का गठन संबंद्ध राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तथा संघ क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसदीय अधिनियम द्वारा होता है। नगर निगमों के लिए एक अधिनियम भी हो सकता है प्रत्येक नगर निगम के लिए अलग अधिनियम भी।

किसी नगर निगम में तीन प्राधिकरण होते है-परिषद,स्थायी समितिया और आयुक्त ।

निगम परिषद में जनता द्वारा चुना गया पार्षद नगरपालिका प्रशासन से संबंधित कार्य अनुभव और ज्ञान रखने वाले कुछ नामित व्यक्ति हो सकते है ।संक्षेप में निगम परिषद के लिए आरक्षण सहित , 74 वै संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है निगम परिषद का प्रधान ' महापौर " होता है जिसकी सहायतार्थ " उपमहापौर" होता है। मेयर का चुनाव अधिकार राज्यों में एक वर्ष की अवधि के लिए होता है बाद में इसका नवीनीकरण किया जा सकता है ।महापौर (मेयर) मूलतः दिखावा होता है और निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। मेयर का मुख्य कार्य निगम के विधायी और वैचारिक स्कंध-परिषद को बैठकों की अध्यक्षता करना है ।

स्थायी समितियों के गठन का उददेश्य निगम के कार्यो में सहायता पहुँचना है। निगम में कार्यो का अम्बर रहता है जिनके निपटान को सुगम बनाने का कार्य स्थायी समितियों द्वारा किया जाता है। स्थायी समितियां सार्वजनिक कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कराधान वित्त आदि से जुड़े मामलों को निपटाती है स्थायी समितियाँ अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित निर्णय भी लेती है।

नगर निगम आयुक्त पर स्थायी समितियों और परिषद द्वारा लिए निर्णयों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार निगम आयुक्त निगम का मुख्य कय्कारी प्राधिकारी होता है निगमायुक्त की नियुकित राज्य सरकार द्वारा की जाती है और वह प्राय: भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है ।

नगरपालिका

नगरपालिकाओं की स्थापना शहरों और छोटे नगरों पर प्रशासन को दृष्टि से की जाती है ।निगम की तरह नगरपालिकाओं की स्थापना भी राज्यों में राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तथा संघ राज्य क्षेत्रों में संसदीय अधिनियम द्वारा की जाती है। नगरपालिकाओं को दूसरे नामो से भी जाना जाता है अर्थात नगर परिषद, नगर समिति , म्युनिस्पल बोर्ड, बाँरो म्युनिस्पललिटी और अन्य। नगर निगमों की तरह नगरपालिका में भी तीन प्राधिकरण होते है-परिषद, स्थायी समिति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

परिषद की संरचना , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण सहित 74वै संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होती है ।परिषद, नगरपालिका का विमर्शी और विधायी स्कंध है ।परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है जिसकी सहायतार्थ उपाध्यक्ष होते है नगर निगम के महापौर से सर्वथा बिण, नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिका प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने के आलावा उसे कार्यकारी शाक्तियाँ भी प्राप्त होती है ।

नगरपालिका में स्तःयी समितियों का गठन परिषद के कार्यों को सुगम बनाने के लिए किया जाता है- स्थायी समितियाँ सार्वजानिक कार्यों, कराधान, स्वास्थ्य, वित्त आदि से जुड़े मामलों का निपटान करती है ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर नगरपालिका के दिन-प्रतिदिन के सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी होती है तथा उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

अधिनियम क्षेत्र समिति (नोटिफाइड एरिया कमेटी)

इस समिति का गठन दी तरह के क्षेत्रों में किया जाता है । वै क्षेत्र है- औद्योगिकारण के करण तेजी से विकसित हो रहे नगर तथ वे नगर जो नगरपलिक के गथन समबनधि शर्तो को पुरा नही कर पते किंतु जिन्हें राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता हो । इस समिति का गठन चूँकि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा होता है इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहते है । यद्यपि यह समिति राज्य के म्युनिसिपल अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है किंतु अधिनियम के केवल वै प्रावधान ही इस समिति पर लागू है जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित है और जिनके द्वारा इसका गठन हुआ है । इस समिति को किसी दूसरे अधिनियम के अंतर्गत भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है इस समिति को नगरपालिकाओं के समकक्ष शक्ति प्राप्त होती है: किंतु नगरपालिका से सर्वथा भिन्न, इस समिति के सभी सदस्य तथा अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते है इस प्रकार यह समिति न तो निर्वाचित निकाय है और न ही संवैधानिक ।

टाउन एरिया कमेटी

इस कमेटी का गठन छोटे शहरों पर प्रशासन की दृष्टि से किया जाता है यह अर्ध-नगरपालिका प्राधिकरण है जिसको सीमित संख्या में कार्य सौंपे गए है। जैसे- जलनिकासी , सडक, पथ-प्रकाश , संरक्षण आदि । इस कमेटी की स्थापना राज्य के विधान के अंतर्गत अलग अधिनियम द्वारा होती है। इस कमेटी की संरचना, कार्य और अन्य मामलों का निर्धारण इस अधिनियम द्वारा ही किया जाता है। यह समिति राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: निर्वाचित या पूर्णत: अथवा अंशत: निर्वाचित और अंशत: नामित हो सकती है । ए.पी.जैन की अध्यक्षता वाली "ग्रामीण शहरी क्षेत्र से संबंद्ध समिति" (1963-66) ने सिफारिश की थी कि स्थानीय निकायों की संख्या को कम करने की दृष्टि से छोटे शहरी क्षेत्र की समितियों को पंचायती राज संस्थाओं में मिला देना चाहिए ।

छावनी बोर्ड

छावनी बोर्ड की स्थापना छावनी क्षेत्र की असैनिक आबादी पर नगरपालिका प्रशासन की दृष्टि से होती है। इसका क्षेत्र विस्तारित होता है जिसमे सैन्य बल और टुकड़ियाँ स्तःयी रूप से रहती है। छावनी बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित छावनी क्षेत्र अधिनियम 1924 के अंतर्गत किया जाता है। यह बोर्ड केंद्रीय सरकार के अधीन रक्षा मंत्रालय के नियन्त्रण में कार्य करता है। इस प्रकार यह उन शहरी स्थानीय निकायों से सर्वथा भिन्न है जिनका गठन और प्रशासन राज्य सरकार द्वार होता है। छावनी बोर्ड का गठन और प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा होता है ।

वर्तमान में देशभर में 63 छावनी बोर्ड है जिन्हें निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है -

i. श्रेणी। -10,000 से अधिक असैनिक आबादी
ii. श्रेणी ॥ - 2,500 से 10,000 के बीच की असैनिक आबादी
iii. श्रेणी ॥। - 2,500 से कम असैनिक आबादी

छावनी बोर्ड में अंशत: नामित सदस्य होते है । चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का तथा नामित सदस्यों (पदेन सदस्य) का कार्यकाल तब तक के लिए होता है जब तक वै उस शहर में रहते हुए उस पद पर होते है । सम्बद्ध स्टेशन को कमांड कर रहा सैन्य अधिकारी छावनी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और बोर्ड को बैठकों की अध्यक्षता करता है । बोर्ड के उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा उन्ही सदस्यों में से किया जाता है जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है । श्रेणी । के छावनी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं-

i. स्टेशन को कमांड कर रहा सैनिक अधिकारी
ii. छावनी क्षेत्र का कार्यकारी अभियंता
iii. छावनी क्षेत्र का स्वास्थ्य अधिकारी
iv. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
v. स्टेशन को कमांड कर रहे सैन्य अधिकारी द्वारा नामित चार सैन्य अधिकारी
vi. छावनी क्षेत्र की जनता ड२आआ चुने गए सात सदस्य

छावनी बोर्ड वै ही कम करता है जो नगरपालिकाओं द्वारा किए जाते है । ये कार्य संवैधानिक दृष्टि से बाध्यकर और विवेकाधीन कार्यों के रूप में श्रेणीबद्ध है। बोर्ड की आय के स्त्रोत में कर आधारित आय और गैर-कर आधारित आय- दोनों तरह की है।

छावनी बोर्ड के कार्यकाल अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकारी अधिकारी बोर्ड और इसकी समितियों के सभी निर्णयों और प्रस्तावों को लागू करता है। कार्यकारी अधिकारी केंद्रीय संवर्ग का होता है जिसका गठन इस प्रयोजन से ही किया जाता है ।

टाउनशिप

शहरी शासन के इस रूप बड़े सार्वजानिक उद्यमों द्वारा अपने उन कार्मिकों और श्रमिकों को नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जाती है जो उद्यम से जुड़े संयत्रों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहते है ।उद्यम , ऐसे शहर (टाउनशिप) में प्रशासन कार्य की देखभाल के लिए नगर प्रशासन की नियुक्ति करता है जिसका सहायतार्थ कुछ अभियंता तथा तकनीकी और गैर तकनीकी स्टाफ होते है। इस प्रकार शहरी शासन के रूप में कोई निर्वाचित सदस्य नही होता है । वास्तविकता यह है कि टाउनशिप , उद्यम के नौकरशाही ढ़ांचे का विस्तार है ।

पोर्ट ट्रस्ट

इसकी स्थापना पत्तन शहरों पर दो उददेश्यों से की जाती है

i. पत्तनों के प्रबंधन और उनकी सुरक्षा के लिए :और
ii. नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट का गठन संसद के अधिनियम द्वारा होता हावा इसमें निर्वाचित और नामित-दोनों तरह के सदस्य होते है। इसका अध्यक्ष कोई अधिकारी होता है इसके नागरिक कार्य कमोबेश नगरपालिका जैसे ही है ।

विशेष उददेश्य एजेंसी

क्षेत्र आधारित शहरी निकायों या बहुउद्देश्यीय एजेंसियों : जैसे-नगर निगम, नगरपालिकाएँ अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ टाउनएरिया समितियाँ , छावनी बोर्ड, टाउनशिप , पोर्ट ट्रस्ट के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा उन विशेष कार्यों को निपटाने के लिए कुछ एजेंसियों का गठन किया है जो वैध रूप सर नगरनिगमों या नगरपालिकाओं या अन्य स्थानी शहरी के अधिकार क्षेत्र में आती है। दूसरे शब्दों में कार्य आधारित एजेंसियां है न कि क्षेत्र आधारित इन एजेंसियों को "एक उददेशीय" या " बहुउददेशीय या विशेष उददेशीय अथवा " कार्य आधारित" स्थानीय निकाय कहा जाता है । इस प्रकार के कुछ निकायों/एजेंसियों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है -

i. टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (नगर सुधार ट्रस्ट)
ii. अरबन डेवलपमेंट अथोरिटी (शहरी विकास प्राधिकरण)
iii. वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड्स (जल आपूर्ति एवं मलजल निकासी बोर्ड)
iv. हाऊसिंग बोर्ड (गृहनिर्माण बोर्ड)
v. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड्स
vi. विद्युत आपूर्ति बोर्ड्स
vii. ट्रांसपोर्ट बोर्ड और अन्य ।

कार्य आधारित इन स्थानीय निकायों की स्थापना राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा एक सार्वजानिक निकाय के रूप में अथवा कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा विभागों के रूप में की जाती है। ये स्वायत संस्थाओं के तौर पर कम करते है और स्थानीय- शहरी सरकारों के अर्थात नगर निगमों या नगर पालिकाओं आदि से स्वाधीन उन कार्यों को निपटाते है जो उनको सौपे जाते है। अत; ये स्थानीय नगरपालिका निकायों की अधीनस्थ संस्थाएँ नही है ।

नगरपालिका कार्मिक

भारत में 3 प्रकार की नगरपालिका कार्मिक-प्रणालियाँ है । स्थानीय शहरी शासन के अंतर्गत कार्यरत कार्मिक इन तीन प्रणालियों में सेन किसी एक अथवा सभी प्रणालियों से सम्बद्ध हो सकता है । ये प्रणालियाँ है -

1. पृथक कार्मिक प्रणाली

इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति प्रशासन और नियन्त्रण स्वयं करता है । इन कार्मिक को किसी दूसरे स्थानीय निकाय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता ।यह व्यापक रूप से प्रचलित प्रणाली है । यह प्रणाली स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि करती है और अविभक्त निष्ठा भाव को प्रोत्साहन देती है ।

2. सम्मिलित कार्मिक प्रणाली

इस प्रणाली के अंतर्गत नगरपालिका कर्मचारियों की नियुक्ति , उन पर प्रशासन और नियन्त्रण राज्य सरकार करती है ।दूसरे शब्दों में , राज्य के सभी शहरी निकायों के लिए राज्यव्यापी सेवाओं का निर्माण किया जाता है । इनको राज्य के स्थानीय निकायों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है । यह प्रणाली आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में प्रचलित है ।

3. एकीकृत कार्मिक प्रणाली

इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारी और स्थानीय निकायों के कर्मचारी एक ही सेवा के अंग होते है ; अर्थात

नगरपालिका कार्मिक राज्य सेवा के सदस्य होते है । इन कार्मिकों को राज्य के स्थानीय निकायों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है । इस प्रकार स्थानीय लोकसेवा और राज्य लोकसेवा में कोई भेद नहीं होता है ।रह प्रणाली उड़ीसा , बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में प्रचलित है ।

नगरपालिका कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न संस्थाओं के नाम इस प्रकार है-

1. अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान (ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई ।) इसका गठन वर्ष 1927 में हुआ था । यह निजी पंजीकृत समिति है ।
2. शहरी एवं पर्यावरण अध्यन केंद्र (सेंटर फॉर अरबन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज) नई दिल्ली । इसका गठन "नगर पालिका कर्मचारियों को प्रशिक्षण" विषय से संबद्ध नूरूददीन अहमद समिति (1963-65) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1967 में किया गया था ।
3. क्षेत्रीय शहरी एवं पर्यावरण अध्यन केंद्र (रीजनल सेंटर्स फॉर अरबन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज) कोलकाता, लखनऊ, हेदराबाद और मुबंई का गठन भी नूरूददीन अहमद कमेटी में उल्लिखित समिति की ही सिफारिश के आधार पर वर्ष 1968 में किया गया था ।
4. राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान (नेशनल इन इंस्टीट्यूट ऑफ़ अरबन अफेयर्स) स्थापना वर्ष 1976
5. मानव अधिवास प्रबंधन संस्थान (हयूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट) स्थापना वर्ष 1985

केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद

इस की स्थापना वर्ष 1954 में भारत के राष्ट्रपति के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी।मूलतः इसे केंद्रीय सथानीय स्वशासन परिषद के नाम से जाना जाता था ।"स्वशासन" शब्द को अनावश्यक मानते हुए मात्र "शासन" शब्द को रहने दिया गया । इस प्रकार स्वशासन के स्थान पर स्थानीय शासन अर्थात " केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद" का नाम पड़ा । वर्ष 1958 तक यह परिषद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के स्थानीय शासन का कार्य संभालती रही किंतु वर्ष 1958 के बाद यह परिषद केवल शहरी स्थानीय शासन का कार्य ही देख रहा है ।

परिषद एक परामर्शदाता निकाय है । इसमें भारत सरकार में शहरी विकास मंत्री और राज्यों के स्थानीय स्वशासन से जुड़े विभाग के मंत्री शामिल होते है । परिषद का अध्यन केंद्रीय मंत्री होता है ।

यह परिषद स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कार्य करती है -

i. नीतिगत मामलों पर विचार और उनकी अनुशंशा,
ii. विधान निर्माण संबंधी प्रस्ताव तैयार करना,
iii. केंद्र और राज्य के बीच सहयोग की संभावना का पता लगाना,
iv. साझा कार्य योजना तैयार करना,
v. केंद्रीय वित्तीय सहायता हेतु सिफारिश करना,
vi. केंद्रीय वित्तीय सहायता से स्थानीय निकायों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना ।

Empowering Nation
JOB ALERT
का जवाब!